अवमानना प्रकरण सं0 02/13

1. सुखवन्त सिंह पुत्र चढसिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्रांम पंचायत खाटलबाना पंचायत समिति श्रीगंगानगर
2. जसवीरसिह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता तथा कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री हरजीत सिंह जोली, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री सुनील कुमार , अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या –2

आदेश **दिनांक : 08.08.2017**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता तथा कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधिनियम का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय में ग्राम पंचायत के कथित प्लाट नम्बर 07 वाके खाटलबाना जिसका पट्टा कथित रूप से अप्रार्थी के नाम से दिनांक 22.06.1999 को जारी किया गया होना वर्णित किया गया जबकि इस नम्बर का कोई प्लाट वजूद में ही नही है तथा सचिव ग्रांम पंचायत के द्वारा दिनांक 05.05.2012 को लिख कर दिया कि इस प्रकार का कोई पट्टा ग्राम पंचायत से जारी नहीं हुआ है। जिसकी नकल निगरानी के साथ प्रस्तुत की हुई है।

ग्राम पंचायत खाटलबाना के आबादी खसरा के रिकार्ड के अनुसार गांव का किता नम्बर 231 तादादी 504 दरगज किला नम्बर 276 तादादी 1815 दरगज, प्लाट नम्बर 277 तादादी 1915 दरगज तथा 279 तादादी 1409 दरगज करतार सिंह पुत्र जैमल सिंह , हरनेक सिंह शमशेर सिंह पिसरान करतार सिंह के नाम दर्ज था। उक्त भूखण्ड मालिकान के देहान्त के बाद वारिसान द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 03.07.2006 के उक्त चारो अहाताजात की 5553 दरगज में से निस्फ दक्षिणी हिस्सा में से 3/5 हिस्सा यानि 6663 2/3 वर्गफीट जगह को मन प्रार्थी निगरानी कर्ता को बेचान किया गया तथा वह इस पर खरीद के रोज से काबिज है। अप्रार्थी के द्वारा निगरानी कर्ता की उक्त खरीद शुदा जगह में से कुछ जगह का पट्टा छप्पड के साथ लगती जगह का अपने नाम से होने का कथन करके कुछ दिन पूर्व कब्जा करने व निर्माण करने की कोशिश करने लगा तो मैने रोका इस पर पटटा दिखाया व फोटों प्रति मैने प्राप्त की तथा इस प्रकार से मेरे खरीदशुदा जगह पर कथित प्लाट नम्बर 07 का कथन करके कुछ जगह का पट्टा गलत तौर से जारी किया करवाया गया हैं तथा निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। निगरानी में पट्टा निरस्त का निवेदन किया गया है। इसके साथ ही एक स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा इस पर श्रीमान न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश 23.05.2012 को जारी किया जाकर यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि पट्टा 22.06.1999 की जगह पर कोई निर्माण अप्रार्थी न करे । इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को हो चुकी है। मगर जानबूझकर उनके द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलतना की है। अतः अप्रार्थी को बाद जांच सजा व कानूनी देने व अवैध निर्माण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

जो कि कथित आक्षेपित पट्टा दिनांक 22.06.1999 वाले स्थान पर किया गया है को हटवाये जाने का आदेश दिया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि उक्त निगरानी पट्टा दिनांक 22.06.1999 के विरूद्व पेश की गई है, जबकि न तो पट्टा जारी किया जाने का आदेश है न ही पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। बिना आदेश व पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि के निगरानी चल नही सकती तथा पंचायत के द्वारा दिनांक 05.05.2012 को याचिकाकर्ता को कभी भी यह लिखकर नहीं दिया गया कि उक्त पट्टा का रिकार्ड पंचायत के पास नही है जबकि पंचायत के द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित रिकार्ड पुलिस के द्वारा होना व उसकी रसीद पेश करना निगरानी के साथ सलंग्न किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा निर्माण करने पर याचिकाकर्ता के रोके जाने पर दिनांक 20.05.2012 को पट्टा दिखने की बात भी गलत दर्ज की गई है। अप्रार्थी द्वारा मौका पर कभी भी कोई निर्माण निगरानी प्रस्तुत होने पर नही किया गया है। पट्टा दिखाने वाली बात स्वतः ही गलत हो जाती हैं उक्त निगरानी मियाद के अंदर प्रस्तुत नही की गई है। उक्त आदेश दिनांक 22.06. 1999 की प्रथम बार जानकारी कब, कहां व कैसे हुई यह अंकित नही किया गया है। प्रार्थी के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है। अतः निगरानी को पेश करने में हुई देरी को कंडोन न किया जावें तथा प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता तथा कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस को आधारित करते हुए कहा है कि प्रार्थना में वर्णित तथ्य ही उसकी बहस है। अप्रार्थी–2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस को आधारित करते हुए कहा है कि प्रार्थना में वर्णित तथ्य ही उसकी बहस है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानी प्रकरण सख्या 58/2012 अनवानी सुखवन्त सिंह बनाम ग्रांम पंचायत व जसवीर सिंह में जारी स्थगन की पालना न होने पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त निगरानी का पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं तदधीन बने नियमों के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा जारी करने वाली संस्था ग्रांम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव सख्या 02 दिनांक 05.12.2011 इस पट्टे के सम्बन्ध में निर्मूल नहीं है। ग्रांम पंचायत में कथित पट्टे से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नहीं होने तथा पट्टे की प्रचलित नियमों में वैद्यता नहीं होने के कारण निगरानीधीन पट्टा दिनांक 22.06.1999 जो अप्रार्थी सख्या 02 जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह के नाम जारी है, को निरस्त किया जाता है का निर्णय पारित किया जाने पर अवमानना प्रार्थना पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रकिया संहिता तथा कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधिनियम निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्रांम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर